

Advertisement


APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR FOR H.N.B UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY, DEHRADUN

It is proposed to appoint Vice-Chancellor for the H.N.B. Uttarakhand Medical Education University, Dehradun, established under the Hemwati Nandan Bahuguna Uttarakhand Medical Education University Act 2014.

As per the Section 10 of the aforementioned Act, the Vice-Chancellor has to be a person with the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/ She should be a distinguished academician with a minimum of Ten years of experience as Professor in a Medical College or Medical University System or Ten years experience in an equivalent position in a reputed organization of Medical Sciences. The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date of appointment or till the age of 65 years, whichever is earlier; subject to the provisions of the Act.

Academicians of repute, desirous of applying or nominating other qualified persons for consideration by the Search-Cum-Selection Committee, may send their applications/nominations, along with detailed bio-data in triplicate, to The Secretary, Medical Education, Government of Uttarakhand, Room No.301, Third floor, Vishwakarma Bhawan, 4-Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun-248001 within a month of publication of this advertisement .

For further details, please visit the university website - www.hnbmu.ac.in.


Nitesh Kumar Jha, I.A.S
Secretary, Medical Education,
Government of Uttarakhand, Dehradun
Tel:01352711227 (O), 01352713837 (Fax)

विज्ञप्ति

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-10 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित सर्च कमेटी द्वारा संस्तुत पैनल में से हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति की जानी है। कुलपति पद पर नियुक्त व्यक्ति योगदान की तिथि से 03 वर्ष अथवा शासन द्वारा निर्धारित अधिवर्षता आयु (अधिकतम 65 वर्ष), जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारित करेगा।

कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी व शैक्षणिक अधिकारी होता है, अतः उक्त पद हेतु उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता का व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशिष्ट न्यूनतम चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रक्रिया में प्रोफेसर के पद पर 10 वर्ष का अनुभव अथवा चिकित्सा विज्ञान के प्रतिष्ठित संगठन में समकक्ष स्थिति में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

उक्तानुसार योग्यता रखने वाले तथा आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अथवा अन्य व्यक्तियों को सर्च कमेटी के सम्मुख विचारार्थ नामित किये जाने के इच्छुक आवेदक अपना अथवा नामित व्यक्ति का आवेदन, विस्तृत जीवनवृत्त सहित तीन प्रतियों में, सदस्य सचिव, सर्च-कम-सलेक्शन कमेटी द्वारा सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष संख्या-301, तृतीय तल, विश्वकर्मा भवन, 4-सुभाष मार्ग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून-248001 को इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से एक माह के भीतर प्रेषित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर देखें।



नितेश कुमार झा, आई०ए०एस०

सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन

दूरभाष नं०-01352711227, फ़ैक्स-01352713837

ई-मेल : info.hnbumu@gmail.com, vc@hnbumu.ac.in